

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.5(य-35)कोष/बजट/उपकोष सृजन/501-532 दिनांक:- 4.5.2016

कोषाधिकारी

जोधपुर (ग्रामीण), अलवर, बूंदी, चूरु,
जयपुर (ग्रामीण), झुन्झुनु, सीकर, नागौर एवं भरतपुर।

विषय:- बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के बिन्दु संख्या 240 के अनुसार नवसृजित तहसील मुख्यालयों पर स्वतंत्र उपकोष कार्यालय सृजित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- संयुक्त शासन, सचिव वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प. 11(2)वित्त/राजस्व/2009 दिनांक 04.05.2016

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा राजस्थान कोषालय नियमावली-2012 के नियम 67 के अन्तर्गत निम्नलिखित 14 नवसृजित तहसील मुख्यालयों पर "ब" श्रेणी का स्वतंत्र उपकोष कार्यालय सृजित करते हुए पदों के निर्धारित नार्म्स के अनुसार स्वतंत्र उपकोष कार्यालय स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	
		क्रम संख्या	तहसील का नाम
1.	जोधपुर (ग्रामीण)	1	बाप
		2	बालेसर
2.	अलवर	3	रेनी
		4	नीमराना
3	बूंदी	5	तालेड़ा
4	चूरु	6	बीदासर
5	जयपुर (ग्रामीण)	7	दूदू
6	झुन्झुनु	8	मलसीसर
		9	सूरजगढ़
7	सीकर	10	खण्डेला
8	नागौर	11	रियाबड़ी
		12	कुचामन सिटी
		13	मूण्डवा
9	भरतपुर	14	भुसावर

उक्त 14 नवसृजित/क्रमोन्नत तहसील मुख्यालयों पर प्रत्येक स्वतंत्र उपकोष में निर्धारित नार्म्स के अनुसार सहायक लेखाधिकारी-I (1 पद), सहायक लेखाधिकारी-II (1 पद), कनिष्ठ लेखाकार (1 पद), क्लर्क ग्रेड-II (1 पद), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (1 पद) कुल 70 नवीन पदों के निम्नानुसार सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र. सं.	पदनाम	पे-बैण्ड	ग्रेड-पे	सृजित किये जाने वाले नवीन पदों की संख्या का विवरण	सृजित किये गये कुल नवीन पदों की संख्या
1.	सहायक लेखाधिकारी-I	9300-34800	4800	14x1	14
2.	सहायक लेखाधिकारी-II	9300-34800	4200	14x1	14
3.	कनिष्ठ लेखाकार	9300-34800	3600	14x1	14
4.	क्लर्क ग्रेड-II	5200-20200	2400	14x1	14
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	1700	14x1	14
	योग				70

उक्त स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री महोदया (वित्त) से अनुमोदित है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-4) विभाग की बारकोड संख्या 271600158 दिनांक 29.04.2016 के अनुसरण में जारी की गई है।

अतः उक्त उपकोष कार्यालयों को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे :-

1. संबंधित तहसील स्तर पर तहसील कार्यालय में उपकोष कार्यालय के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान आवंटित करवाये। यदि स्थान उपलब्ध नहीं है तो किराये के भवन हेतु नियमानुसार प्रस्ताव अविलम्ब प्रेषित करें। तहसील कार्यालय में उपयुक्त स्थान न होने पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव, तकमीना इत्यादि प्रेषित करने की कार्यवाही भी करें।
2. नवसृजित उपकोष कार्यालय हेतु बैंक शाखा को अधिकृत करने के प्रस्ताव अविलम्ब प्रेषित करें।
3. नवसृजित उपकोष कार्यालय के लिए आहरण वितरण अधिकारियों, निर्माण खण्डों, पी.डी. खातों, सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स, सिविल पेंशनर्स, स्टाम्पस् इत्यादि को पूर्व में इस हेतु अधिकृत उपकोष कार्यालय से हस्तांतरित करने हेतु अविलम्ब विस्तृत प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करें।
4. नवसृजित उपकोष कार्यालय के लिए आवश्यक फर्नीचर, कम्प्यूटर, मशीन विद मैन इत्यादि के प्रस्ताव अविलम्ब निदेशालय को प्रेषित करें।
5. नवसृजित उपकोष कार्यालयों का संचालन राजस्थान कोषागार नियम-2012 के नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित करे तथा राजस्थान कोषागार नियम-2012 के नियम 67 एवं 68 की पूर्ण अनुपालना नवसृजित उपकोष कार्यालयों के संचालन के लिए अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
6. नवसृजित उपकोष कार्यालयों के संचालन के लिए जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर क्लर्क ग्रेड-II एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पदस्थापन अविलम्ब करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय


(पंकज पोतनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.5(य-35)कोष/बजट/उपकोष सृजन/501-532 दिनांक:- 4 MAY 2016

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर जोधपुर, अलवर, बूंदी, चूरु, जयपुर, झुन्झुनु, सीकर, नागौर एवं भरतपुर।
2. तहसीलदार, बाप, बालेसर (जोधपुर), रेनी, नीमराना (अलवर), तालेड़ा (बूंदी), बीदासर (चूरु), दूदू (जयपुर), मलसीसर, सूरजगढ़ (झुन्झुनु), खण्डेला (सीकर), रियाबड़ी, कुचामनसिटी, मूण्डवा (नागौर), एवं भूसावर (भरतपुर)


अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट)